पत्रांक – SUDA/SBM/FM/80 – 2016..........258

राज्य योजना मद(सीवरेज एवं ड्रेनेज) SCSP & TSP

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
सरकार के प्रधान सचिव।

अनौपचारिक रूप से परमार्शित

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०)
झारखण्ड, राँची।

द्वारा आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची/ दिनांक........12/02/18

विषय: वित्तीय वर्ष 2017 – 18 में साफ – सफाई हेतु राँची नगर निगम को Suction Machine (3000 Lts.) क्रय करने के लिए राज्य योजनान्तर्गत सीवरेज एवं ड्रेनेज मद से कुल राशि रु० 5,00,000/- (पांच लाख रूपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महाशय,

74 वें संविधान कि 12 वीं अनुसूची के आलोक में शहरी निकायों के द्वारा नागरिकों को मौलिक एवं बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करना एवं शहर का साफ – सफाई करना नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है।

2. वित्तीय वर्ष 2017 – 18 में केंद्र प्रायोजित योजना "स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)" कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राँची नगर निगम को Suction Machine (3000 Lts.) क्रय करने हेतु राज्य योजनान्तर्गत सीवरेज एवं ड्रेनेज मद से कुल राशि रु० 5,00,000/- (पांच लाख रूपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2017 – 18 में निम्नांकित शीर्ष से की जायेगी:-

क्र०सं०	मद	प्रक्षेत्र/ विपत्र कोड	राशि(₹ में)
1	सीवरेज एवं ड्रेनेज	मुख्य – शीर्ष – 2215–जल पूर्ति तथा सफाई - उप मुख्य शीर्ष – 02 –मल – जल तथा सफाई - लघु शीर्ष –789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - उप शीर्ष–12-सिवरेज एवं ड्रेनेज निर्माण योजनाके लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान – विस्तृतशीर्ष– 06 – अनुदान – 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन); विपत्र कोड –48S221502789120679	1,00,000.00
2		मुख्य – शीर्ष – 2215–जल पूर्ति तथा सफाई - उप मुख्य शीर्ष – 02 –मल – जल तथा सफाई - लघु शीर्ष –796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना - उप शीर्ष–12-सिवरेज एवं ड्रेनेज निर्माण योजना के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान – विस्तृत शीर्ष– 06 – अनुदान – 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन); विपत्र कोड – 48S221502796120679	4,00,000.00

4. नगर आयुक्त, राँची नगर निगम द्वारा आवश्यक अतिरिक्त राशि निकाय के आन्तरिक स्रोतों से लगायेंगे।

5. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर आयुक्त/ अपर नगर आयुक्त/ उप नगर आयुक्त, राँची नगर निगम होंगे जिनके द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी राँची कोषागार से किया जायेगा।

6. नगर आयुक्त/ अपर नगर आयुक्त/ उप नगर आयुक्त, राँची नगर निगम द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी करने के सात दिनों के अन्दर नगर विकास एवं आवास विभाग में अनुबंधित कंपनियों/ Gem Portal/ खुली प्रतिस्पर्धी निविदा द्वारा योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि का विचलन नहीं किया जायेगा एवं प्रत्येक माह कि 15 वीं तारीख को विभाग को प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।

(

7. स्वीकृत राशि द्वारा निम्नलिखित संयंत्र/ वाहन का क्रय किया जायेगा होंगे :-

क्र०	संयंत्र/ वाहन का नाम	मात्रा
1	Suction Machine (3000 Lts.)	1

8. योजना का नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण होंगे |

8. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वर्ष (2015 - 16) में निकाय को कोई राशि आवंटित नहीं किया गया था अतः प्रतिवेदन लागु नहीं है |

9. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या– 759/ वि० दिनांक – 20.03.2015 की कंडिका – 5(iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता – 2016 के अनुरूप कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा |

10. स्वीकृत राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता – 2016 का अनुपालन किया जायेगा | भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे सम्बंधित पुस्तकों/ पंजियों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा|

11. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या – 2561 दिनांक – 17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय – समय पर निर्गत अनुवर्ती आदेशों के आलोक में की जायेगी | आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, राँची, झारखण्ड को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी |

12. राँची नगर निगम के नगर आयुक्त को निदेश दिया जाता है कि क्रय किये जा रहे संयंत्र/ वाहन की गुणवता एवं durability का ध्यान रखा जायेगा | इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे |

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि नियमानुसार स्वीकृत राशि का व्यय करेंगे एवं सुनिश्चित करेंगे कि योजना अथवा राशि भुगतान का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो |

14. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आतंरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है |

15. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या – 759/ वि० दिनांक – 20.03.2015 के कंडिका – 5 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है|

अतः संबधित कोषागार पदाधिकारी/ उपकोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या – 759/ वि० दिनांक - 20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे |

विश्वासभाजन

(अरुण कुमार सिंह) 8.2.18

सरकार के प्रधान सचिव |

ज्ञापांक – SUDA/SBM/FM/ 80 - 2016- 258 राँची/ दिनांक 12/02/18

प्रतिलिपि – अपर मुख्य सचिव योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/ निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/ निदेशक, नगरीय प्रशासन, झारखंड, राँची/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग/ कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार/ सम्बंधित प्रमंडलिय आयुक्त एवं उप-आयुक्त/ नगर आयुक्त, राँची नगर निगम/ श्री कुणाल, विशेषज्ञ (IT - Specialist) को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/ श्री संदीप अग्रवाल, सहायक को Online आवंटन हेतु/ बजट शाखा, नगर विकास एव आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित |

8.2.18

सरकार के प्रधान सचिव |